... म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 /2017 निगरानी PBR/निगरानी/गुना/भू-रा/2017/2362

फूल सिह धोबी पुत्र बाल मुकन्द जाति धोबी निवासी ग्राम देहरी तहसील चाचोडा जिला गुना म.प्र. । ....आवेदक

विरूद्ध

(11)

1. देवलाल पुत्र शिवलाल जाति धोवी
2. हुदेश पुत्र श्री शिवलाल धोवी
3. रामस्वरूप पुत्र शिवलाल निवासीगण–ग्राम देहरी तहसील चाचोडा जिला गुना म.प्र.
4. रामलखन पुत्र श्री रामप्रसाद जाति निवासी ग्राम तेलीगांव तहसील चाचोडा जिला गुना म.
5. म.प्र. शासन ....अनावेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि. 25/7/17 को प्रस्तुत

25-7-17

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राज्य संहिता 1959 विरूद्ध कलेक्टर जिला गुना के प्रकरण क 08/स्व. निगरानी/2016–17 मे पारित आदेश दिनांक 21.6.2017 के विरूद्ध निगरानी ।

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

<u>प्रकरण का संक्षिप्त विवरण –:</u>

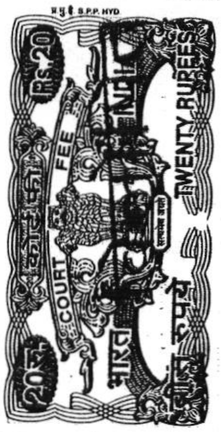

1. यहकि , आवेदक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को स्व0 निगरानी में लेने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि उक्त ग्राम देहरी तहसील चाचोडा जिला गुना में स्थिति भूमि सर्वे कमाक 158 को राजस्व अधिकारी और ग्राम पटवारी से मिलजुल कर अनावेदक क 1 लगायत 3 के पिता शिवलाल को प्रकरण क 20/73–74/अ–19 से पटटा मिला था जिस पटटे को वगैर किसी सक्षम अधिकारी के बिना अनावेदक क 1 लगायत 3 द्वारा उक्त भूमि का नामातरण अपने नाम करा लिया हैं जिस भूमि पर विकय से वर्जित अकित होने के उपरांत वगैर किसी सक्षम अधिकारी के अनुमति लिये वगैर उक्त भूमि का विकय पत्र को अनावेदक क 4 को किया गया जो भूमि सरकारी भूमि का विकय पत्र किया गया हैं जिसकी शिकायत भूमि विकय से पूर्व की गई जिस का कोई निराकरण नही किया गया जिस को स्व. निगरानी में लेने हेतु आवेदक द्वारा कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर से प्रकरण क 08/स्व0नि0/2016–17 दर्ज की

PBR/निग०/गजना/भू०रा०/2017/2362

5-9-2017

आवेदक की ओर से श्री सुनील जादौन अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना गया। किरायेदार मैंर्मा की प्रति कलेक्टर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। इस प्रकरण में कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त ~~की~~ किया जाता है।

अध्यक्ष

5/9/17